जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी

सर्वशिक्षा अभियान स्कूली प्रणाली के सामुदायिक–स्वामित्व के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में एक प्रयास है, साथ ही यह कार्यक्रम मिशन पद्धति से सामूदायिक स्वामित्व व्यवस्था के अंतर्गत् स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था के जरिए सभी बच्चों की मानवीय क्षमताओं में सुधार लाने का एक प्रयास भी है। इस योजना का मूल उद्देश्य निम्नानुसार है–

- सभी बच्चों द्वारा 2007 तक पांच वर्षों की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करना।
- सभी बच्चों द्वारा 2010 तक आठ वर्षों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष घ्यान देना
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को पाटना।
- 2010 तक शत–प्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना।

➢ **"स्कूल चलें हम" अभियान –** स्कूल चलें हम अभियान का मुख्य लक्ष्य शाला से बाहर समस्त बच्चों (5–14 आयु वर्ग को शाला में दर्ज कराना है

इस संबंध में सर्वे एवं प्रपत्र 1 अ से 6 अ में जानकारी संकलन का कार्य जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य घर–घर सम्पर्क कर सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाता है इस सर्वे में 3 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जानकारी प्राप्त की जाकर शाला से बाहर अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों की पहचान की जाती है तथा शत–प्रतिशत नामाकंन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त बच्चों के शाला से बाहर रहने के कारणों के आधार पर उन्हें शाला में या अन्य वैकल्पिक शिक्षा सुविधा के द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जाता है जिले में इस वर्ष 162 बहु विकलांग बच्चे शाला से बाहर हैं, तथा जिले में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 288771 है।

➢ **निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण :** सभी बच्चे शाला में दर्ज हों, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे एवं बच्चों में उपलब्धि स्तर बढ़ाए जाने हेतु शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिवस ही निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना अंतर्गत् समस्त

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की कक्षा 1 से 8 में नामांकित समस्त छात्र/छात्राओं को पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया जाता है । वर्ष 2007–08 में कुल 245450 छात्र/छात्राओं को पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया गया है।

- **गणवेश वितरण** :– गणवेश वितरण योजना अंतर्गत् समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को 90 रू. प्रति बालिका के मान से गणवेश का वितरण किया जाता है। उक्त राशि संबंधित शाला के पालक शिक्षक संघ के खातों में भेजी जाकर पालक शिक्षक संघों के द्वारा ही गणवेश क्रय की जाकर 15 अगस्त तक वितरण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2007–08 में शत प्रतिशत कुल 125574 छात्राओं को गणवेश वितरण किया गया है।

- **निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना :–** शैक्षणिक सत्र 2007–08 से ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की ऐसी बालिकाएं जो अपने गांव में स्कूल न होने के कारण कक्षा 5 पास करने के बाद अन्य ग्राम की माध्यमिक शाला में कक्षा 6वीं में दर्ज होंगी तथा कक्षा 6 में अनुसूचित जाति, जनजाति की अनुत्तीर्ण बालिकायें जिनके ग्राम में माध्यमिक शाला नही है उन्हे निःशुल्क सायकिल प्रदान की जायेगी। यह योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि बालिकायें अपनी आठवीं तक की शिक्षा पूरी कर सकें । जिले में 15 सितम्बर 2007 से सायकिल वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । वास्तविक लक्ष्य संख्या 4504 है जिसके विरूद्ध 4504 सायकिलों का वितरण किया जा चुका है ।

- **मध्यान्ह भोजन** :–मध्यान्ह भोजन अंतर्गत् सुरूचिपूर्ण भोजन का वितरण जिलें में 2187 शास. प्राथमिक शाला एवं 05 अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं एवं विकासखण्ड लखनादौन की सभी शासकीय माध्यमिक शालाओं में किया जा रहा है । शासन द्वारा निर्धारित दिवसवार मीनू अनुसार निर्धारित मात्रा में समस्त दर्ज बच्चों को सूरूचिपूर्ण भोजन का वितरण किया जा रहा है।

- **बालिका छात्रावास–** माध्यमिक शिक्षा सुविधा विहिन बसाहटों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनकी कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी कराने के उद्देश्य से जिले में 04 बालिका आवासीय छात्रावास का संचालन लखनादौन में 02 एवं धनौरा, घंसौर विकासखंड में एक–एक 50 सीटर छात्रावास संचालित है जिसमें 50–50 बालिकाएं दर्ज है ।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय –** जिले में वर्ष 2005–06 से एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय **ग्राम–गोरखपुर** विकासखण्ड–छपारा में संचालित है तथा इस सत्र से द्वितीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय **लखनादौन** में जुलाई 07 से प्रारंभ किया गया है तथा दोनो में 50–50 बालिकाएं दर्ज हैं।

- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्रावास –** जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (निःशक्त बच्चों) के लिए 50 सीटर एक छात्रावास शासकीय माध्यमिक शाला मठ, सिवनी में संचालित है। जिसमें वर्तमान में 40 बच्चे दर्ज हैं । उक्त सभी छात्रावास आवासीय है ।

- **मॉडल क्लस्टर शाला गतिविधि कक्षः–** जिले के चयनित 4 विकासखण्ड छपारा, लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा विकासखण्ड के 73 जनशिक्षा केन्द्र की मॉडल क्लस्टर शाला में गतिविधि कक्ष का निर्माण किया जा रहा है ।

- **परस्पर रेडियो संवाद (IRI) कार्यक्रम :–** कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थीयों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम सितम्बर माह से प्रतिदिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है।

- **हेडस्टार्ट केन्द्रः–** कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शिक्षा एवं नवीन तकनीक के प्रति अभिरूची पैदा करने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदायित विभिन्न शैक्षणिक सी.डी. के माध्यम से कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा प्रदान की जा रही है । प्रत्येक हेडस्टार्ट केन्द्र में उस ग्राम में अध्ययरत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में दर्ज बच्चे लाभांवित हो रहे हैं। जिले में कुल 79 हेडस्टार्ट केन्द्र संचालित हैं जिनमें से 78 हेडस्टार्ट केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है तथा 01 केन्द्र सिवनी शहर में संचालित है। इसके माध्यम से हेडस्टार्ट केन्द्र के अंतर्गत् आने वाली शालाओं के बच्चों को कम्प्युटर समर्थित् शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

- **निर्माण कार्य –** शाला में नामांकन के अनुसार बच्चों की पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं बच्चों का शाला में ठहराव बनाए रखने के लिए निम्नानुसार निर्माण कार्य पालक शिक्षक संघ/ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2007–08 में समस्त कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराए जाने हैं। कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत् अब तक कराये जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्य कुल 2373 में से 2233 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिले में वर्ष 2008–09 में कुल 143 माध्यमिक शाला भवन, 125 मा.शा.अतिरिक्त कक्ष एवं 55 प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

➢ **वित्तीय स्थिति** – उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार प्राप्त है–

योजना		कुल बजट	मार्च अंत तक व्यय	प्राप्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत
एसएसए बजट	–	3262.76	1288.29	92.38
एनपीईजीईएल बजट	–	137.75	96.49	84.87
केजीबीव्ही बजट	–	32.60	29.27	80.10
कुल बजट	–	34.42	14.14	91.54